



प्रेस नोट

थाना-कल्यानपुर जनपद-फतेहपुर



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर व श्रीमान पुलिस उपाधीक्षक विन्दकी महोदय के दिशा निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के क्रम में दिनांक 05.08.22 को उ०नि० सन्नेश बाबू गौतम, का० सुनील कुमार, का० सुमेश यादव, का० दीवान सिंह यादव के देखभाल क्षेत्र, रोकथाम जुर्म जरायम के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम अहिरनखेडा हाइवे से लगभग 50 मीटर अहिरनखेडा गांव की तरफ सडक के पास से अभि० नारेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द्र पासवान नि० पिलखिनी थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर घेर कर पकड लिया गया । जामा तलाशी से अभि० उपरोक्त के कब्जे से 1 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा बरामद हुआ । इसके सम्बन्ध में थाना कल्यानपुर पर मु०अ०सं० 135/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत हुआ है ।



नाम पता अभि०- नारेन्द्र कुमार पुत्र रमेश चन्द्र पासवान नि० पिलखिनी थाना कल्यानपुर जनपद फतेहपुर

बरामदगी – 01 किलो 250 ग्राम अवैध सूखा गांजा

आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 135/2022 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट

गिरफ्तार करने वाले अधि०/कर्म०-

1. प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह राजपूत
2. उ०नि० सन्नेश बाबू गौतम
3. का० सुमेश यादव
4. का० दीवान सिंह
5. का० सुनील कुमार

